न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, डीग जिला डीग(राज.)

मि0न0 85/2016(जी.सी.एम.एस. 2016/00049) पीठासीन अधिकारीः— श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

लखमीचन्द उर्फ लक्खो पुत्र चतरी जाति जाट नि0 ग्राम नाहरौली ठाकुर तहसील जनूथर जिला डीग (राज0)

—सायल

बनाम

1. रामकिशन
2. हरी सिंह
3. मान सिंह

} पिस0 चतरी जातियान जाट नि0 ग्राम नाहरौली ठाकुर तहसील जनूथर(डीग)

—गैर सायलान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय

दिनांकः 19.12.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 205/0.72, 192/0.64, 149/0.39, 134/0.24, 135/0.23, 136/0.33, 137/0.23, 139/0.16, 150/0.28, 162/0.59, 198/0.36, 204/0.39, 251/0.30, 127/0.18, 141/0.10, 142/0.21, 147/0.19, 200/0.38, 195/0.42, वाके ग्राम मांटौली व आराजी खसरा नम्बर 514/0.31 वाके ग्राम नसवाडा व आराजी खसरा नम्बरान 535/0.07, 536/0.07, 455/0.14, 456/0.17, 488/0.07, 435/0.08, 451/0.02, 470/0.11, 518/0.19, 151/0.15, 137/0.12, 142/0.26, 195/0.25, 205/0.36, 261/0.35 वाके ग्राम नाहरौली ठाकुर तहसील डीग में स्थित है। विवादित आराजी सायल एवं गैर सायलान के मुस्तर्का कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसमें सायल ग्राम मांटौली में स्थित आराजी खाता संख्या 5 व खसरा नम्बर 205/0.72 के हिस्सा 42/56 में हिस्सा 1/4 का व आराजी खाता संख्या 6 खसरा नम्बर 192/0.64 के हिस्सा 40/77 में हिस्सा 1/4 का व आराजी खाता संख्या 85 खसरा नम्बर 149/0.39 में हिस्सा 1/8 व आराजी खाता संख्या 86 प खसरा नम्बर 134/0.24, 135/0.23, 136/0.33, 137/0.23, 139/0.16, 150/0.28, 162/0.59, 198/0.36, 204/0.39, 251/0.30 में हिस्सा 1/4 का व आराजी खाता संख्या 87 व खसरा नम्बर 127/0.18 के हिस्सा 1/4 का व आराजी खाता संख्या 142 खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

141/0.10, 142/0.21, 147/0.19 में हिस्सा 45/81 का हिस्सा 1/4 का व आराजी खाता संख्या 80 ख0 नम्बर 195/0.42 में हिस्सा 1/8 का तथा ग्राम नसवाडा के खाता संख्या 170 व खसरा नम्बर 514/0.31 में हिस्सा 1/4 का तथा ग्राम नाहरौली ठाकुर के खाता संख्या 66 के खसरा नम्बर 535/0.07, 536/0.07 में हिस्सा 1/24 का व खाता संख्या 69 खसरा नम्बरान 455/0.14, 456/0.17 के हिस्सा 1/24 का खाता संख्या 65 खसरा नम्बर 488/0.07 में हिस्सा 1/12 का व खाता संख्या 64 खसरा नम्बरान 435/0.08, 451/0.02, 470/0.11, 518/0.19, में हिस्सा 1/8 का व खाता संख्या 82 खसरा नम्बर 151/0.15 में हिस्सा 3/4 में हिस्सा 1/4 का व खाता संख्या 81 खसरा नम्बरान 137/0.12, 142/0.26, 195/0.25, 205/0.36 में हिस्सा 1/4 का व खाता संख्या 80 खसरा नम्बर 261/0.35 में हिस्सा 22/35 में हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार काबिज है तथा गैर सायलान व अन्य मुताविक हिस्सा दर्ज जमाबन्दी अपने अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है इस प्रकार विवादित आराजी पक्षकारान मुकदमा के मुस्तर्का कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी है। जिसका अभी तक कोई विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विवादित आराजी के सम्मलित कब्जे काश्त में पक्षकारान में आपस में नहीं बनती है और चाहे जब आपस में विवाद पैदा हो जाता है। अतः निवेदन है कि विवादित वर्णित आराजीयात को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने तथा सायल को उसके हिस्से की आराजी से आउस्ट व बेदखल कर कब्जा नाजायज नही करने हेतु पावंद फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर गैर सायलान के विरूद्व दिनांक 08.06.2016 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। दिनांक 04.09.2024 को गैर सायलान संख्या 02,03 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि सायल ने प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों एवं तथ्यों को छुपाते हुए पेश किया गया है। क्योकि गैर सायल संख्या 2 हरीसिंह ने अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि को जरिये रिलीजडीड दिनांक 06.06.2016 को प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व हस्तान्तरण कर दिया गया था वर्तमान में हरीसिंह के हिस्से पर मानसिंह यानि गैर सायल संख्या 3 का कब्जा है। उक्त रिलीजडीड पूर्व के आपसी बंटवारे के अनुसार गैर सायलन संख्या 2 द्वारा गैर सायल संख्या 3 को मानसिह के हक रिलीजडीड निष्पादित की गई थी और सायल ने उक्त दावा महज रिलीजडीड के आधार पर खोले जाने वाले दाखिल खारिज को रूकवाने के आशय पेश किया गया है। जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील सायल के द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि विवादित वर्णित आराजीयात को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने तथा सायल

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

को उसके हिस्से की आराजी से आउस्ट व बेदखल कर कब्जा नाजायज नही करने हेतु ता फैसला वाद पावंद फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थीगण के द्वारा बहस के दौरान जबाव में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि प्रार्थना पत्र सायल गलत तथ्यों पर पेश किया गया है को खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात/राजस्व रिकार्ड का गहनतापूर्वक अवलोकन व वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

प्रथम दृष्ट्या प्रकरणः– सायल ने अपना मूल दावा विभाजन की बाबत् पेश किया है और उक्त स्टे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबन्दी में सायल एवं गैरसायल रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिनका का हिस्सा सायल ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज किया है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में प्रतीत है।

सुविधा का संतुलनः– उभय पक्षकारान ने बहस के दौरान यह कथन किया कि सायल एवं गैरसायलान विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। लेकिन गैरसायलान ने दिनांक 02.06.2016 को उक्त आराजी को रहन, वय, मुंतकिल करने की धमकी दी है और गैरसायलान ने अपनी बहस के दौरान इस तथ्य पर जोर दिया कि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं कर सकते हैं। रिलीज डीड का अध्ययन पर प्रतीत है कि उक्त रिलीज डीड प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व दिनांक 06.06.2016 को गैरसायल संख्या 2 द्वारा गैरसायल संख्या 3 के हक में निष्पादित करा दी गई थी और उक्त प्रकरण में दिनांक 08.06.2016 से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। जोकि 8 वर्ष से अधिक समय से जारी है और उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा के जारी रहने से गैरसायलान को हानि होना प्रतीत है व अन्य खातेदार काश्तकार भी उक्त स्थगन आदेश से प्रभावित हैं। एक पक्षीय स्थगन आदेश लम्बे समय तक जारी रखना नियमानुसार उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में है।

अपूर्णनीय क्षतिः– उभय पक्षकारान/सायल एंव गैरसायलान विवादित आराजी के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार हैं और कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत नहीं है। एक रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार अपने हिस्से को रहन, वय, मुंतकिल करने के लिये स्वतंत्र है। गैरसायल संख्या 2 द्वारा रिलीज डीड

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

दिनांक 06.06.2016 को प्रार्थना पत्र पेश करने से पूर्व ही निष्पादित कराई जा चुकी है और उक्त मुकदमे में जारी स्थगन आदेश से गैरसायलान को अपरमित नुकसान हो रहा है। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी प्रकार से की जानी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अपूर्णीय क्षति का बिन्दु सायल के पक्ष में ना होकर गैरसायलान द्वारा साबित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण में तीनों बिन्दु गैरसायलान के पक्ष में साबित हुये है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमें में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2016 निरस्त की जाकर सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट0 खारिज किये जाने योग्य है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, के तथ्य व परिस्थिति की दृष्टि से वकील उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड,का अवलोकन व प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। उपर्युक्त विवरण अनुसार हम सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट,अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः—

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, अस्वीकार किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 08.06.2016 (कैफियम क्रमांकः 1320—21 दिनांक 08.06.2016 तथा संशोधित कैफियत पत्रांकः 1458—49 दिनांक 15.06.2016) को निरस्त/खारिज किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
डीग

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को लिखाया जाकर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग